



Drishti IAS



करेंट अफेयर्स

छत्तीसगढ़

अगस्त

(संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़

➤ अचनकमार टाइगर रिज़र्व में ब्लैक पैंथर	3
➤ महानदी में बाढ़ का खतरा नहीं	5
➤ शारीरिक दंड	6
➤ छत्तीसगढ़ में ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक कार्यक्रम	7
➤ छत्तीसगढ़ में नया टाइगर रिज़र्व	7
➤ NEP के अनुसार छत्तीसगढ़ स्कूल की पाठ्य पुस्तकें	8
➤ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नए सुरक्षा शिविरों की घोषणा की	9
➤ बस्तर और सरगुजा के लिये रेल सर्वेक्षण को मंजूरी	10
➤ वन महोत्सव कार्यक्रम	10
➤ छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा के लिये AI का उपयोग	11
➤ छत्तीसगढ़ में NCB का ज़ोनल कार्यालय	11
➤ केंद्रीय मंत्री ने वल्लभाचार्य आश्रम का दौरा किया	12
➤ छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण	13
➤ छत्तीसगढ़ आयुष्मान योजना के तहत राशि बढ़ाएगा	13
➤ नई रेल परियोजनाएँ	14

छत्तीसगढ़

अचनकमार टाइगर रिज़र्व में ब्लैक पैंथर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले के अचानकमार बाघ अभयारण्य (ATR) में एक दुर्लभ **ब्लैक पैंथर** देखा गया।

मुख्य बिंदु

वर्ष 2022 में बाघों की गणना के दौरान ATR में ब्लैक पैंथर की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी।

ATR में बाघों की गणना के लिये सर्वेक्षण के चौथे चरण में रिज़र्व वन में दस बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, जिनमें से सात मादा और तीन नर थे।

ब्लैक पैंथर



परिचय:

- ◆ **तेंदुए (Panthera Pardus)** का रंग हल्का होता है (हल्के पीले से अत्यंत सुनहरे या पीले रंग के) और इसके शरीर पर काले रंग के गुच्छे में फर/बाल पाए जाते हैं।
- ◆ **मेलानिस्टिक तेंदुए** का रंग या तो पूरी तरह से काला होता है या फिर यह अत्यंत गहरे रंग का होता है जो ब्लैक पैंथर के रूप में जाने जाता है। यह धब्बेदार भारतीय तेंदुओं की रंग आधारित किस्म है, जो दक्षिण भारत के घने वनों में पाया जाता है।

- ◆ तेंदुओं के काले रंग के आवरण का कारण अप्रभावी एलील (Recessive Alleles) और जगुआर के एक प्रभावी एलील की उपस्थिति का होना है। प्रत्येक प्रजाति में एलील्स का एक निश्चित संयोजन जंतु के फर और त्वचा में काले वर्णक मेलेनिन (मेलानिज़्म) के उत्पादन को उद्दीपित करता है।
 - काले आवरण की उपस्थिति अन्य कारकों से प्रभावित हो सकती है, जैसे कि आपतित प्रकाश का कोण और जंतु के जीवन की अवस्था।
- पर्यावास:
 - ◆ ये मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिमी चीन, बर्मा, नेपाल, दक्षिणी भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं।
 - ◆ भारत में यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाया जाता है।
- संबंधित खतरे:
 - ◆ प्राकृतिक वास का नुकसान।
 - ◆ वाहनों से टक्कर।
 - ◆ रोग।
 - ◆ मानव अतिक्रमण।
 - ◆ अवैध शिकार।
- संरक्षण स्थिति :
 - ◆ IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)
 - ◆ CITES: परिशिष्ट I
 - ◆ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I

अचानकमार टाइगर रिज़र्व

- यह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में की गई और 2009 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया।
- यह बृहद अचानकमार-अमरकंटक बायोस्फीयर रिज़र्व का हिस्सा है।
- इसमें कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व को जोड़ने वाला एक गलियारा मौजूद है और यह इन रिज़र्वों के बीच बाघों के आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- नदी:
 - ◆ इस रिज़र्व के ठीक बीच से मनियारी नदी बहती है, जो इस वन की जीवन रेखा है।
- जनजाति:
 - ◆ यहाँ बैगा जनजाति की बहुलता है, जो वन में वास करने वाला जनजाति समुदाय है जिसे "विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - ◆ रिज़र्व के प्रमुख क्षेत्र के 626 हेक्टेयर में 25 गाँव हैं, जिनमें से लगभग 75% जनसंख्या बैगा जनजाति की है।
- वृक्ष:
 - ◆ इसके अधिकांश क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वृक्ष विस्तृत हैं।
- वनस्पतिजात:
 - ◆ साल, बीजा, साजा, हल्दू, सागौन, तिनसा, धावरा, लेंडिया, खमर, बाँस सहित औषधीय पौधों की 600 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

- प्राणिजात:

- ◆ इसमें बाघ, तेंदुआ, बाइसन, उड़न गिलहरी, इंडियन जायंट स्विरेल, चिंकारा, वन्य कुत्ता, लकड़बग्घा, सांभर, चीतल और पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियाँ शामिल हैं।

महानदी में बाढ़ का खतरा नहीं

चर्चा में क्यों ?

सरकारी अधिकारियों के अनुसार महानदी नदी प्रणाली पर बाढ़ का कोई डर नहीं है।

मुख्य बिंदु

- महानदी प्रणाली गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है तथा ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है
- नदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तृत है
- इसका बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में मैकाल रेंज से घिरा है
- स्रोत:
 - ◆ यह नदी छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर के निकट सिहावा के निकट अमरकंटक के दक्षिण में स्थित स्थान से निकलती है।
- प्रमुख सहायक नदियाँ:
 - ◆ शिवनाथ, हसदेव, मांड और इब नदियाँ महानदी में बायीं ओर से मिलती हैं जबकि ओंग, तेल तथा जोंक नदियाँ इसमें दायीं ओर से मिलती हैं।
- महानदी विवाद:
 - ◆ केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया।
- महानदी पर प्रमुख बाँध/परियोजनाएँ:
 - ◆ हीराकुंड बाँध भारत का सबसे लंबा बाँध है।
 - ◆ रविशंकर सागर, दुधावा जलाशय, सोंदुर जलाशय, हसदेव बांगो और तंदुला अन्य प्रमुख परियोजनाएँ हैं।
- शहरी केंद्र:
 - ◆ इस बेसिन में तीन महत्वपूर्ण शहरी केंद्र रायपुर, दुर्ग और कटक हैं।
- उद्योग:
 - ◆ महानदी बेसिन अपने समृद्ध खनिज संसाधन और पर्याप्त ऊर्जा संसाधन के कारण अनुकूल औद्योगिक जलवायु है।
 - ◆ भिलाई में लोहा और इस्पात संयंत्र
 - हीराकुंड और कोरबा में एल्युमीनियम कारखाने
 - कटक के पास पेपर मिल
 - सुंदरगढ़ में सीमेंट कारखाना।
- मुख्यतः कृषि उपज पर आधारित अन्य उद्योग चीनी और कपड़ा मिलें हैं।
- कोयला, लोहा और मैंगनीज का खनन अन्य औद्योगिक गतिविधियाँ हैं।

नोट :

शारीरिक दंड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक छात्र को आत्महत्या के लिये उकसाने की आरोपी एक महिला शिक्षक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अनुशासन या शिक्षा के नाम पर स्कूल में किसी बच्चे को शारीरिक दंड देना क्रूरता है।

मुख्य बिंदु

न्यायालय के अनुसार, बच्चे को शारीरिक दंड देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत उसके जीवन के अधिकार के अनुरूप नहीं है। छोटा होना किसी बच्चे को वयस्क से कमतर/छोटा नहीं बनाता।

शारीरिक दंड

● परिचय:

- ◆ बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा शारीरिक दंड को परिभाषित किया गया है, "कोई भी दंड जिसमें शारीरिक बल का उपयोग किया जाता है और बच्चों के लिये कुछ हद तक दर्द अथवा परेशानी उत्पन्न करने का इरादा होता है, चाहे वह दंड कितना भी सरल क्यों न हो।"
- समिति के अनुसार, इसमें ज्यादातर बच्चों को हाथ या डंडे, बेल्ट आदि से मारना (पीटना, थप्पड़ मारना) सम्मिलित है।
- ◆ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, शारीरिक या शारीरिक दंड वैश्विक स्तर पर घरों तथा स्कूलों दोनों में अत्यधिक प्रचलित है।
- 2 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के लगभग 60% बच्चे नियमित रूप से अपने माता-पिता या अन्य देखभाल करने वालों द्वारा शारीरिक रूप से दंडित किये जाते हैं।
- ◆ भारत में बच्चों के लिये 'शारीरिक दंड' की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है।

● शारीरिक दंड के प्रकार:

- ◆ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा परिभाषित शारीरिक दंड में कोई भी ऐसा कार्य शामिल है जो किसी बच्चे को दर्द, चोट या हानि पहुँचाता है।
- इसमें बच्चों को असुविधाजनक स्थिति में खड़ा करना शामिल है, जैसे बेंच पर खड़ा होना, दीवार के सहारे कुर्सी की तरह खड़ा होना या सिर पर स्कूल बैग रखना।
- इसमें पैरों में हाथ डालकर कान पकड़ना, घुटनों के बल बैठना, जबरन पदार्थ खिलाना एवं बच्चों को स्कूल परिसर के भीतर बंद स्थानों तक सीमित रखना जैसी प्रथाएँ भी शामिल हैं।
- ◆ मानसिक उत्पीड़न का संबंध गैर-शारीरिक दुर्व्यवहार से है जो बच्चों के शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- दंड के इस रूप में व्यंग्य, अपशब्दों तथा अपमानजनक भाषा का उपयोग करके डाँटना, डराना और अपमानजनक टिप्पणियों का उपयोग जैसे व्यवहार शामिल हैं।
- इसमें बच्चे का उपहास करना, उसका अपमान करना या उसे लज्जित करना, भावनात्मक कष्ट और समस्याग्रस्त वातावरण निर्मित करना जैसे कार्य भी शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय के मुक्ता काशी मंच पर राज्य स्तरीय **ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक कार्यक्रम** का आयोजन किया गया।

यह आयोजन **दहेज जैसी सामाजिक बुराई** के खिलाफ एक सक्रिय पहल थी, जो आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में विशेषकर अविकसित राज्यों में प्रचलित है।

मुख्य बिंदु:

- यह कार्यक्रम **संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग** तथा **छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति** द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
- इंद्रधनुषी और छत्तीसगढ़ी थीम पर रैंप पर थिरकते ट्रांस-मॉडल्स के साथ-साथ ट्रांसजेंडर कलाकारों ने राजस्थानी, **कथक**, **ओडिसी** तथा **लावणी** का मिश्रण नृत्य भी प्रस्तुत किया।
- वरिष्ठ समुदाय के सदस्यों ने सभी कलाकारों को नारियल, शॉल और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

ट्रांसजेंडर

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019** के अनुसार, ट्रांसजेंडर को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी लिंग पहचान उसके जैविक लिंग से मेल नहीं खाती।
- इसमें अंतर-लिंगीय भिन्नता वाले ट्रांस-व्यक्ति, लिंग-विषम लैंगिक और किन्नर, हिजड़ा, अरावनी तथा जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले लोग शामिल हैं।
- भारत की **2011 की जनगणना** देश की 'ट्रांस' आबादी की संख्या को शामिल करने वाली **पहली जनगणना** थी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि **4.8 मिलियन भारतीय ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाते हैं**।

छत्तीसगढ़ में नया टाइगर रिजर्व

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में **गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य** के क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक नया **बाघ अभयारण्य** घोषित करने का निर्णय लिया है।

यह राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य होगा।

मुख्य बिंदु:

- बाघ अभयारण्य के निर्माण से पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास होगा तथा इसके केंद्र तथा बफर क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
- ◆ **राज्य वन्य जीव बोर्ड** की अनुशंसा और **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority- NTCA)**, **केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** की सहमति के अनुसार मंत्रिपरिषद ने 2,829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने का निर्णय लिया है।
- वर्तमान में राज्य में तीन बाघ अभयारण्य हैं - **इंद्रावती (बीजापुर ज़िले में)**, **उदंती-सीतानदी (गरियाबंद)** और **अचानकमार (मुंगेली)**।

गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान

परिचय:

- सतनामी सुधारक गुरु घासीदास के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करने का परिणाम है। यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है।
- उद्यान की स्थलाकृति लहरदार है और यह उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

जैवविविधता:

- वनस्पति: वनस्पति में मुख्य रूप से सागौन, साल और बाँस के वृक्षों के साथ मिश्रित पर्णपाती वन शामिल हैं।
- जीव-जंतु: बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार, सांभर, चार सींग वाला मृग आदि।

तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य

परिचय:

- यह उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है। इसका नाम तमोर पहाड़ी और पिंगला नाला के नाम पर रखा गया है।
- तमोर पहाड़ी और पिंगला नाला अभयारण्य क्षेत्र की पुरानी तथा प्रमुख विशेषताएँ मानी जाती हैं।

जैवविविधता:

- वनस्पति: इस अभयारण्य में मिश्रित पर्णपाती वनों का प्रभुत्व है। साल और बाँस के वन हर जगह दिखाई देते हैं।
- जीव-जंतु: बाघ, हाथी, तेंदुए, भालू, सांभर हिरण, नीलगाय, चीतल, बाइसन और ऐसे विभिन्न जानवर यहाँ पाए जाते हैं।

NEP के अनुसार छत्तीसगढ़ स्कूल की पाठ्य पुस्तकें

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP), 2020 के मानदंडों के अनुसार स्कूली छात्रों के लिये पाठ्य पुस्तक लेखन एवं पाठ्यक्रम विकास की पहल करने वाला पहला राज्य बन गया है।

मुख्य बिंदु:

- इसका उद्देश्य अगले शैक्षणिक सत्र तक कक्षा 1-3 और 6 के लिये पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना है।
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य में NEP के ईमानदारी से कार्यान्वयन के लिये प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह एवं निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP), 2020

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP), 2020 का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए 21वीं सदी के लक्ष्यों और सतत् विकास लक्ष्य 4 (Sustainable Development Goal- 4) को पूरा करने के लिये शिक्षा प्रणाली में सुधार करके भारत की उभरती विकास आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का स्थान लिया, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training- NCERT)

- NCERT एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की गई थी।
- यह स्कूल शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने वाली सर्वोच्च संस्था है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नए सुरक्षा शिविरों की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार बस्तर के सुदूर इलाकों में वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिये नए सुरक्षा शिविर खोलने पर काम कर रही है।

मुख्य बिंदु:

- पिछले आठ महीनों में बस्तर के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 32 नए सुरक्षा शिविर खोले गए तथा जल्द ही 29 और ऐसे शिविर स्थापित किये जाएंगे।
- ◆ राज्य सरकार ने नक्सल संबंधी घटनाओं की प्रभावी एवं त्वरित जाँच तथा अभियोजन कार्यवाही के लिये राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency- NIA) की तर्ज पर राज्य अन्वेषण अभिकरण (State Investigation Agency- SIA) का गठन किया है।
- ◆ राज्य सरकार ने राज्य में माओवाद से निपटने के लिये एक नई योजना 'नियाद नेल्लनार' (आपका अच्छा गाँव) भी शुरू की है।

नियाद नेल्लनार योजना:

- नियाद नेल्लनार, जिसका अर्थ है "आपका अच्छा गाँव" या "योर गुड विलेज" स्थानीय दंडामी बोली है (दक्षिण बस्तर में बोली जाती है)।
- इस योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के भीतर स्थित गाँवों में सुविधाएँ और लाभ प्रदान किये जाएंगे।
- ◆ बस्तर में 14 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किये गए हैं। ये शिविर नई योजना के क्रियान्वयन में भी सहायक होंगे। नियाद नेल्लनार के तहत ऐसे गाँवों में करीब 25 बुनियादी सुविधाएँ मुहैया कराई जाएंगी।
- इन गाँवों के परिवारों को उज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त चावल, चना-नमक, गुड़ और चीनी, राशन कार्ड, सिंचाई पंप, मुफ्त विद्युत्, सामुदायिक भवन, आँगनवाड़ी तथा वन अधिकार प्रमाण-पत्र मिलेंगे।
- यहाँ बारहमासी सड़कों के अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, खेल मैदान, बैंक, ATM, मोबाइल टावर, हेलीपैड आदि का निर्माण कराया जाएगा।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency- NIA)

- NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जाँच एवं मुकदमा चलाने के लिये जिम्मेदार है।
- ◆ किसी देश में संघीय एजेंसियों का क्षेत्राधिकार आमतौर पर उन मामलों पर होता है जो केवल व्यक्तिगत राज्यों या प्रांतों के बजाय पूरे देश को प्रभावित करते हैं।
- इसकी स्थापना 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत की गई थी, यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है।
- ◆ जुलाई 2019 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया गया, जो NIA अधिनियम, 2008 में संशोधन करता है।
- NIA के पास राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से आतंकवाद से संबंधित मामलों की जाँच अपने हाथ में लेने का अधिकार है। इसके पास राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना राज्य की सीमाओं के पार मामलों की जाँच करने का भी अधिकार है।

बस्तर और सरगुजा के लिये रेल सर्वेक्षण को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में एक महत्त्वपूर्ण रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु:

- **प्रमुख लाभ :** नई रेलवे लाइन से बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा जो कि इन क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करेगा।
- ◆ मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गढ़चिरौली से बीजापुर होते हुए बचेली तक 490 किलोमीटर तक विस्तृत नई रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण की मंजूरी से बस्तर के समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- ◆ मंत्रालय ने इस सर्वेक्षण के लिये 12.25 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं, जो बस्तर के दूरदराज के क्षेत्रों को प्रत्यक्षतः शहरों से जोड़ेगा, जिससे उच्च शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और बाज़ार तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित होगी।
- ◆ इसी तरह कोरबा से अंबिकापुर तक 180 किलोमीटर की रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण की मंजूरी से कोरबा और सरगुजा क्षेत्र के समावेशी विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इस सर्वेक्षण के लिये 4.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।

वन महोत्सव कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ वन विभाग ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले में मियावाकी पद्धति से पौधे लगाकर वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया।

प्रमुख बिंदु

- पाँच अलग-अलग स्थानों पर करीब 6,000 पौधे रोपे गए। मियावाकी तकनीक अपनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य नगरीय ऊष्मा द्वीपों और प्रदूषण को कम करना है।
- **मियावाकी विधि:**
 - ◆ इसका नाम जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी के नाम पर रखा गया है, इस पद्धति में प्रत्येक वर्ग मीटर में दो से चार विभिन्न प्रकार के देशी पेड़ लगाए जाते हैं।
 - ◆ इस पद्धति का विकास 1970 के दशक में किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य भूमि के एक छोटे से टुकड़े में हरित आवरण को सघन बनाना था।
 - ◆ इस पद्धति में पेड़ आत्मनिर्भर हो जाते हैं और तीन वर्ष के भीतर अपनी पूरी लंबाई तक बढ़ जाते हैं।
 - मियावाकी पद्धति में प्रयुक्त पौधे अधिकांशतः आत्मनिर्भर होते हैं तथा उन्हें खाद और पानी जैसी नियमित देखभाल की आवश्यकता नहीं होती।
 - ◆ **महत्त्व:**
 - देसी पेड़ों का घना हरा आवरण उस क्षेत्र के धूल कणों को सोखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहाँ उद्यान स्थापित किया गया है। पौधे सतह के तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायता करते हैं।
 - इन वनों में प्रयुक्त होने वाले कुछ सामान्य देसी पौधों में अंजन, अमला, बेल, अर्जुन और गूँज शामिल हैं।
 - ये वन नई जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करते हैं जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है।

छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा के लिये AI का उपयोग

चर्चा में क्यों ?

अधिकारियों के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार का शिक्षा विभाग स्कूली शिक्षा और मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- छात्रों के प्रदर्शन पर नज़र रखने, स्वच्छता की देख-रेख करने, शौचालय की सफाई की निगरानी करने और श्रमशक्ति की स्थिति का आकलन करने के लिये AI प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है।
- ◆ इसके अतिरिक्त, स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, जवाबदेही और छात्र सुरक्षा बढ़ाने के लिये एक **जियो-फेंसड उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी**।
- ◆ भोजन की गुणवत्ता का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिये **सब्सिडियों की ताज़गी, चावल की बनावट और तेल की मात्रा का विश्लेषण करके भोजन की निगरानी में AI-संचालित प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा**।
- राज्य सरकार स्कूलों और विद्यार्थियों की निगरानी के लिये सॉफ्टवेयर तथा मोबाइल ऐप विकसित करने हेतु **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) भिलाई** के साथ सहयोग कर रही है।
- **AI प्रणाली को लागू करने के लिये रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र** की स्थापना की गई है। इसका उपयोग स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी और डेटा विश्लेषण के लिये किया जाएगा।
- ◆ सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी और सुविधाएँ छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को उपलब्ध होंगी।
- ◆ छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिये एक टोल-फ्री फोन नंबर जारी किया जाएगा।

विद्या समीक्षा केंद्र (VSK)

- VSK का उद्देश्य सीखने के परिणामों में बड़ी छलांग लगाने के लिये डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।
- यह 15 लाख से अधिक स्कूलों, 96 लाख शिक्षकों और 26 करोड़ छात्रों के डेटा को कवर करेगा तथा शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी को बढ़ाने एवं इस तरह सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिये बड़े डेटा विश्लेषण, **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** व मशीन लर्निंग का उपयोग करके उनका सार्थक विश्लेषण करेगा।

छत्तीसगढ़ में NCB का ज़ोनल कार्यालय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के ज़ोनल कार्यालय का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में **मादक पदार्थों की स्थिति, वामपंथी उग्रवाद (LWE)** की स्थिति और **नक्सलवाद पर अंतर-राज्यीय समन्वय पर बैठकों की अध्यक्षता भी की**।
- **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो:**
- इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में **स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** के अंतर्गत किया गया था।
- यह **गृह मंत्रालय** के अंतर्गत सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है।
- **स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 47** पर आधारित है, जो राज्य को निर्देश देता है कि वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक मादक औषधियों के उपभोग पर, औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, प्रतिषेध लगाने का प्रयास करे।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

- यह किसी व्यक्ति को मादक दवा या मनःप्रभावी पदार्थ का उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन करने, भंडारण करने और/या उपभोग करने से रोकता है।
- NDPS अधिनियम, 1985 के एक प्रावधान के तहत मादक द्रव्य दुरुपयोग नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष भी बनाया गया, ताकि अधिनियम के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके।

केंद्रीय मंत्री ने वल्लभाचार्य आश्रम का दौरा किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले के चंपारण शहर में महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम में पूजा-अर्चना की।

मुख्य बिंदु

- केंद्रीय मंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास बैठकों के लिये छत्तीसगढ़ का दौरा किया।
- महाप्रभु वल्लभाचार्य:
 - ◆ वल्लभाचार्य एक पूजनीय व्यक्ति थे, जिनकी वेदों और उपनिषदों पर गहन पकड़ थी। उन्हें वल्लभ एवं महाप्रभु वल्लभाचार्य की उपाधियों से जाना जाता था।
 - ◆ उन्होंने शुद्ध अद्वैत या शुद्ध अद्वैतवाद के दर्शन की स्थापना की। उन्होंने भारत के ब्रज क्षेत्र में कृष्ण-केंद्रित पंथ, वैष्णववाद के पुष्टि संप्रदाय की भी स्थापना की।
 - ◆ उन्होंने वेदांत दर्शन की अपनी स्वयं की व्याख्या विकसित करने के बाद जगद्गुरु आचार्य और पुष्टिमार्ग भक्ति विद्यालय के गुरु की भी स्थापना की।
 - ◆ उनका जन्म 1479 ई. में छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले के चंपारण शहर में हुआ था।



वेद और उपनिषद

- वेद:
 - ◆ वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
 - ◆ "वेद" शब्द मूल धातु "विद" से बना है, जिसका अर्थ है "आध्यात्मिक ज्ञान" या "ज्ञान का विषय"।
 - ◆ वेदों की रचना वैदिक कवियों और ऋषियों द्वारा की गई थी, जिन्होंने ब्रह्मांडीय रहस्यों का वर्णन करने के लिये संस्कृत काव्य का प्रयोग किया था।

● उपनिषद:

- ◆ इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ये भारतीय दर्शन का स्रोत हैं और इनकी संख्या सामान्यतः 108 है, हालाँकि ज्ञात है कि इनकी संख्या 200 से भी अधिक है।
- ◆ "उपनिषद" शब्द का अर्थ है "(गुरु के) निकट बैठना" और शिक्षक प्रायः जंगल में अपने विद्यार्थियों को मौखिक रूप से इन्हें पढ़ाते थे।
- ◆ दस मुख्य उपनिषद हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में 25 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। वे प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की गंगलूर और भैरमगढ़ क्षेत्र समितियों में सक्रिय थे।

मुख्य बिंदु

- अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने खोखली माओवादी विचारधारा से मोहभंग होने तथा गैरकानूनी आंदोलन के नेताओं द्वारा आदिवासी समुदायों पर किये गए अत्याचारों का उदाहरण देते हुए आत्मसमर्पण किया।
- छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिये पुनर्वास नीति बनाई है।
- ◆ उन्होंने नियाद नेल्लनार योजना के तहत गाँवों में सड़क, स्वास्थ्य सेवाएँ, जल और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराकर समानता एवं विकास का वातावरण बनाया है।

नियाद नेल्लनार योजना

- नियाद नेल्लनार, जिसका अर्थ है "आपका अच्छा गाँव" या "आपका अच्छा गाँव" स्थानीय दंडामी बोली है (दक्षिण बस्तर में बोली जाती है)।
- इस योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के भीतर स्थित गाँवों में सुविधाएँ और लाभ प्रदान किये जाएंगे।
- ◆ बस्तर में 14 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किये गए हैं। ये शिविर नई योजना के क्रियान्वयन में भी सहायक होंगे। नियाद नेल्लनार के तहत ऐसे गाँवों में करीब 25 बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

छत्तीसगढ़ आयुष्मान योजना के तहत राशि बढ़ाएगा

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार आगामी महीनों में सभी गैर-APL (गरीबी रेखा से ऊपर) कार्ड धारकों के लिये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री- जन आरोग्य योजना के तहत उपचार सीमा को मौजूदा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की योजना बना रही है।

मुख्य बिंदु:

- इस योजना के अंतर्गत लगभग 55 लाख गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Level- BPL) के परिवार और लगभग 8 लाख (APL) परिवार लाभान्वित होंगे
- ◆ अस्पतालों में जटिल चिकित्सा स्थितियों के लिये विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा।
- स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत 35.41 लाख लोगों ने लाभ उठाया।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना

परिचय:

- ◆ PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- ◆ 2018 में लॉन्च की गई यह योजना द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।
- ◆ स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं एवं निदान की लागत शामिल है।

लाभार्थी:

- ◆ यह एक पात्रता-आधारित योजना है, जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (Socio-Economic Caste Census- SECC), 2011 के आँकड़ों द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
- ◆ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority- NHA) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बचे हुए (अप्रमाणित) SECC परिवारों के खिलाफ टैगिंग के लिये समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने के लिये लचीलापन प्रदान किया है।

वित्तपोषण:

- ◆ इस योजना के लिये वित्तपोषण 60:40 के अनुपात में सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिये, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के लिये 90:10 के अनुपात में व बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ साझा किया जाता है।

नोडल एजेंसी:

- ◆ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority- NHA) का गठन राज्य सरकारों के साथ मिलकर PM-JAY के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में किया गया है।
- ◆ राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (State Health Agency- SHA) राज्य सरकार का सर्वोच्च निकाय है जो राज्य में ABPM-JAY के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है।

नई रेल परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6,456 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली तीन नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री के अनुसार मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत तीन नई रेलवे संबंधी परियोजनाओं से ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होगा।
- रेल मंत्रालय के अनुसार इन परियोजनाओं से लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा, लाइन क्षमता बढ़ेगी और परिवहन नेटवर्क में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित होगी तथा आर्थिक विकास में तेजी आएगी।
- ये परियोजनाएँ मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिये PM-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हो पाई हैं और लोगों, वस्तुओं व सेवाओं की आवाजाही के लिये निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CCEA सार्वजनिक क्षेत्र के लिये निवेश प्राथमिकताएँ निर्धारित करती है तथा निवेश के लिये विशेष प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है, जो पूर्व निर्धारित सीमाओं से कम नहीं होने चाहिये, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- इसकी ज़िम्मेदारियों में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के लिये प्राथमिकताएँ निर्धारित करना, निवेश प्रस्तावों पर विचार करना, आर्थिक रुझानों की समीक्षा करना, आर्थिक नीति ढाँचा विकसित करना और आर्थिक गतिविधियों तथा नीतियों का निर्देशन व समन्वय करना शामिल है।

मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिये PM-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

- यह एक **मेड इन इंडिया** पहल है, जो आर्थिक नोड्स और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के लिये मल्टीमॉडल बुनियादी ढाँचे की कनेक्टिविटी की एकीकृत योजना के लिये एक परिवर्तनकारी 'संपूर्ण-सरकार' दृष्टिकोण है, जिससे लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होता है।
- ◆ PM गति शक्ति सिद्धांत क्षेत्रीय संपर्क के हिस्से के रूप में सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र-आधारित विकास लाता है।
- ◆ PM गतिशक्ति को अक्तूबर 2021 में लॉन्च किया गया था।
- गति शक्ति योजना में वर्ष 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपए की **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन** शामिल हो गई है।
- PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)** डेटा-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 1400 से अधिक डेटा परतें और 50 से अधिक उपकरण हैं।
- ◆ यह ट्रंक और उपयोगिता अवसंरचना, भूमि उपयोग, मौजूदा संरचनाओं, मृदा की गुणवत्ता, आवास, पर्यटन स्थलों, वन संवेदनशील क्षेत्रों आदि का दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।
- इस पहल का क्रियान्वयन क्षेत्रीय भागीदारों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिये भी किया जा रहा है। इसके कुछ उपयुक्त उदाहरण इस प्रकार हैं:
 - ◆ भारत-नेपाल हल्दिया प्रवेश नियंत्रित गलियारा परियोजना (पूर्वी भारतीय राज्य और नेपाल)।
 - ◆ विकास केंद्रों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों तक बहुविध कनेक्टिविटी के लिये **क्षेत्रीय जलमार्ग ग्रिड (RWG) परियोजना**।